यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय, उप शिक्षा अधिकारी, विकास खण्ड डुंडा, उत्तरकाशी द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय, उप शिक्षा अधिकारी, विकास खण्ड डुंडा, उत्तरकाशी के माह 06/2015 से 05/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन श्री प्रहलाद सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री रविन्द्र कुमार वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा श्री एस.के. जौहरी लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में दिनांक 16.06.2018 से 20.06.2018 तक सम्पादित किया गया।

भाग-I

परिचयात्मकः इस इकाई में आहरण एवं वितरण अधिकारी का पद अस्तित्व में आने के पश्चात् पृथक रूप से की जाने वाली यह प्रथम लेखापरीक्षा है ।

वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 06/2015 से 05/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

1. **(अ) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः** कार्यालय, उप शिक्षा अधिकारी, विकास खण्ड डुंडा, उत्तरकाशी द्वारा प्रारम्भिक शिक्षा के अंतर्गत विकास खण्ड डुंडा में स्थापित विद्यालयों में शिक्षण एवं प्रबंधन कार्यों का निरीक्षण।

(ब) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(धनराशि रुपये में)

वर्ष	आवंटन		व्यय		बचत / अभ्यर्पण	
	स्थापना में	गैर स्थापना	स्थापना में	गैर स्थापना	स्थापना में	गैर स्थापना
2015-16	218016727	4241492	218016727	4241492	00	शून्य
2016-17	223699999	5528099	223699999	5528099	00	शून्य
2017-18	268035302	6770551	268035302	6770551	00	शून्य
2018-19 upto may 2018			43473077	शून्य	शून्य	--

ब - (केंद्र पुरोनिधानित योजनाओं के अंतर्गत इकाई को प्राप्त धनराशि -शून्य

(ii) इकाई को बजट आवंटन (निदेशक शिक्षा) द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित करते हुए इकाई,“ सी ”श्रेणी की है।

विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

1. महानिदेशक, शिक्षा
2. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा
3. अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा
4. मुख्य शिक्षा अधिकारी
5. जिला शिक्षा अधिकारी,प्रारम्भिक शिक्षा
6. उप शिक्षा अधिकारी बेसिक

(iii) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में कार्यालय, उप शिक्षा अधिकारी, विकास खण्ड डुंडा, उत्तरकाशी को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय, उप शिक्षा अधिकारी, विकास खण्ड डुंडा, उत्तरकाशी की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(iv) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-दो(अ)

प्रस्तर 1- लेखापरीक्षा अवधि के 22 माहों (जून 2015 से मार्च 2017) की रोकड़ बही का रख रखाव न किया जाना तथा रुपये 97.70 लाख के व्यय वाउचर प्रस्तुत न किये का प्रकरण।

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड -5 के भाग प्रथम के अंतर्गत नियम 27-A के निर्देशानुसार इकाई द्वारा रोकड़ बही का रखरखाव किया जाना चाहिए जिसमें प्रतिदिन किये जाने वाले लेन-देनों का विवरण अंकित किया जाना चाहिए तथा माह की समाप्ति पर कार्यालय अध्यक्ष द्वारा रोकड़ बही में की गई प्रविष्टियों का सत्यापन किया जाना चाहिए ताकि बिभिन्न लेनदेनों में पारदर्शिता रखी जा सके। साथ ही वित्तीय प्रबंधन प्रशिक्षण संदर्शिका, राज्य शैक्षिक प्रवंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान उत्तराखण्ड के अध्याय-7 के अनुसार कैश बुक की हर प्रविष्टि पर अहरण वितरण अधिकारी के लघु हस्ताक्षर होना चाहिए तथा प्रारम्भिक अवशेष तथा अंतिम शेष का सत्यापन किया जाना चाहिए ।

उप शिक्षा अधिकारी, विकास खण्ड डुंडा, उत्तरकाशी की लेखापरीक्षा के अंतर्गत **जून 2015 से मई 2018 के अभिलेखों की लेखापरीक्षा की जानी थी परन्तु इकाई की लेखापरीक्षा में पाया गया कि इकाई द्वारा माह अप्रेल 2017 से पूर्व** न तो रोकड़ बही का रख-रखाव किया गया था और न ही उस अवधि के व्यय वाउचर (माह मार्च 2017 के 8 वाउचरों को छोड़ कर) लेखापरीक्षा को प्रस्तुत किये गए । आपत्ति की अवधि में कोषागार के BM-5 के अनुसार इकाई द्वारा कुल 451486317 की धनराशि का व्यय किया गया जिसमे से मात्र 173763 के वाउचर लेखापरीक्षा को प्रस्तुत किये गए जवकि रुपये 451312554 की धनराशि के वाउचर इकाई के पास उपलब्ध नहीं थे जिसमें से रुपये 441716726 के बाउचर वेतन मद से सम्बंधित तथा रुपये 9769591 के वाउचर अन्य व्यय से सम्बंधित थे; जिस कारण उक्त अवधि में इकाई द्वारा व्यय की गई धनराशि का सत्यापन नहीं किया जा सका। जो कि गंभीर वित्तीय कुप्रवंधन को दर्शाता है। ऐसी स्थिति में इकाई द्वारा रोकड़ बही का रख-रखाव नहीं किया जाना वित्तीय नियमों की अवहेलना है साथ ही वाउचरो को प्रस्तुत नहीं किये जाने के फलस्वरूप किसी गंभीर वित्तीय अनियमितता की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। लेखापरीक्षा द्वारा इस सम्बन्ध में विभाग के जिला स्तर कार्यालय (जिला शिक्षा अधिकारी बेसिक, मुख्य शिक्षा अधिकारी) को भी पत्र से सूचित किया गया परन्तु उनके द्वारा भी लेखापरीक्षा को समुचित उत्तर नहीं दिया गया ।

इस सम्बन्ध में संप्रेक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा उत्तर में कहा गया कि उक्त समय अवधि के समय के व्यय वाउचर एवं रोकड़ बही सम्बन्धी जानकारी हेतु उक्त पटल प्रभारी को ई-मेल, दूरभाष एवं दस्ती डाक द्वारा अवगत कराया जा चुका है

परन्तु लेखापरीक्षा अवधि के अंतर्गत अभी तक वे इस कार्यालय में उपस्थित नहीं हुए हैं श्री पंवार के उपस्थित होने पर ही इस सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त की जाएगी तथा वाउचर प्रस्तुत किये जायेंगे एवं तभी रोकड़ बही के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट हो पायेगी। The reply of department indicate gross violation of rule 27A of financial handbook section 5. The audit of unit was conducted during the period 06/2015 to 05/2018 and entries in cashbook for the said period were not recorded and relevant vouchers were also not made available to audit. This is complete system failure and responsibility need to be fixed for this serious reply.

अतः इकाई द्वारा 22 माहों की रोकड़ बही तथा रुपये 97.70 लाख के अन्य व्यय सम्बन्धी व्यय वाउचर प्रस्तुत न किये जाने के परिणामस्वरुप संभावित वित्तीय अनियमितता का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है ।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	अवधि	**प्रस्तर संख्या**
इकाई में आहरण एवं वितरण अधिकारी का पद अस्तित्व में आने के पश्चात् पृथक रूप से की जाने वाली यह प्रथम लेखापरीक्षा है।		

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
इकाई में आहरण एवं वितरण अधिकारी का पद अस्तित्व में आने के पश्चात् पृथक रूप से की जाने वाली यह प्रथम लेखापरीक्षा है।				

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

----शून्य --

भाग-V

आभार

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय, उप शिक्षा अधिकारी, विकास खण्ड डुंडा, उत्तरकाशी तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः- जून 2015 से मार्च 2017 तक की अवधि की रोकड़ बही एवं व्यय वाउचर्स।

2. सतत् अनियमितताएः

-- शून्य --

3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया

क्रम सं.	अवधि		नाम	पदनाम
	से	तक		
1	01.06.2015	03.12.0215	श्री एम. एल.प्रसाद	उप शिक्षा अधिकारी
2	04.12.2015	वर्तमान तक	श्रीमती हर्षा रावत	उप शिक्षा अधिकारी

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय, उप शिक्षा अधिकारी, विकास खण्ड डुंडा, उत्तरकाशी को इस आशय से प्रेषित की जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप महालेखाकार,सामाजिक क्षेत्र कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) महालेखाकार भवन कौलागढ़- 248195 उत्तराखण्ड, देहरादून को प्रेषित कर दी जाएगी ।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सामाजिक क्षेत्र